

**सहायक ग्रेड-3 सीधी भर्ती-प्रारंभिक मेरिट सूची (दावा आपत्ति के अधीन) अनुसूचित जनजाति (भूतपूर्व सैनिक)**

सरल क्र.	आवेदन पत्र पंजीयन क्र.	आवेदक/आवेदिका का नाम/पिता/माता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का वर्तमान पता	जाति वर्ग	मूल निवासी	पुरुष/महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	जन्मतिथि	आयु (वर्ष)	रोजगार कार्या. का पंजीयन क्र./दिनांक	शैक्षणिक योग्यता 12वीं	अंकसूची		प्रतिशत	कम्प्यूटर योग्यता	टीप
													पूर्णांक	प्राप्तांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**—निरंक—**

**नियम व शर्तें**

- (1) कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 5439/वित्त स्था./2016 राजनांदगांव दिनांक 22.09.2016 के अनुरूप सहायक ग्रेड-3 पद के लिये दिनांक 17.10.2016 संध्या 5.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निर्धारित तिथि तक उक्त पद हेतु कुल 9492 आवेदन प्राप्त हुये, जिसका विज्ञापन के अनुरूप वर्गवार/श्रेणीवार सूची प्रकाशन हेतु तैयार की गई है।
- (2) प्रकाशित प्रारंभिक मेरिट सूची पर दिनांक 17.11.2016 से लेकर 28.11.2016 तक दावा-आपत्ति कलेक्टर वित्त शाखा राजनांदगांव कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे। प्राप्त दावा-आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा। उक्त निराकरण पश्चात् कौशल परीक्षा हेतु सूची जारी की जावेगी।
- (3) कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 5439/वित्त स्था./2016 राजनांदगांव दिनांक 22.09.2016 के अनुरूप सहायक ग्रेड-3 पद के लिये निर्धारित 2 परीक्षाओं के प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिन आवेदकों ने दोनों अनिवार्य प्रमाण पत्रों को संलग्न नहीं किया है, वे अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उनके नाम कौशल परीक्षा हेतु जारी की जाने वाली सूची से स्वयमेव बाहर हो जावेंगे। इस प्रारंभिक सूची में शामिल नामों के आवेदकों के प्रमाण पत्रों की केवल प्रारंभिक संवीक्षा की गई है। अतः समस्त आवेदक सूचित हो कि वे विज्ञापन में निर्धारित प्रमाण पत्र दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 28.11.2016 तक पेश करें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाने की स्थिति में जिम्मेदारी उनकी ही होगी। दावा- आपत्ति प्रस्तुत करते समय प्रकाशित सूची के सरल क्रमांक/आवेदन क्रमांक का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।
- (4) आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज विधिपूर्ण नहीं होने पर स्वतः अमान्य होंगे।

डिप्टी कलेक्टर  
राजनांदगांव (छ.ग.)